

6/6/25 पत्रावली पेश हुई। वादी- जारिवानी भाषी- उप-
 जारिवानी भाषी- द्वारा जमानत अवसर दिने
 जाने के वाक्य भी जारिवानी सं- 4, 5, 7 लगा- 9
 के सम्मन पेश नहीं किये गये। मांसिम अवसर
 वाले नलकी दिना जाला है। जारिवानी सं- 1 लगा-
 3 ही वाद जम की जारि उपलब्ध नहीं कराई गई
 है। मांसिम अवसर दिना जाला है। पत्रावली
 वाले नलकी एवं वाद जम की जारि उपलब्ध कराने
 हेतु दिनांक 6/6/25 की पेश हो।

6/6/25

6/6/25

पत्रावली पेश हुई। वादी- जारिवानी भाषी- उप-
 जारिवानी भाषी- द्वारा वाद जम की जारि दिलाने
 हेतु निर्वेदन किये गये। वादी भाषी- द्वारा वाद-
 जम रिदाफत दिने जाने के वाक्य भी जारिवानी भाषी-
 की वाद जम व दफ्तरवेलात की जारि उपलब्ध नहीं कराई
 गई है। वादी द्वारा जारिवानी सं- 4, 5, 7 लगा- 9 की
 पत्रावली हेतु सम्मन जमानत अवसर दिने जाने के वाक्य
 पेश नहीं किये गये हैं। वादी द्वारा वाद जम भाषी-
 की जालना नहीं किये जाते हैं। वादी द्वारा जमानत
 वाद अन्तर्गत ~~आदेश~~ द्वारा 53, 54 एवं 188
 वाद जम का खतमानी आदिनिदम की लिखित
 जारि मांसिम के आदेश 9 निदम 5 में जारिव
 किये जाते हैं। निदम 5 के खतम मुताबाक गयी
 पत्रावली में पेशी पेश जारी है। पत्रावली
 लिखित शुमार लेकर जारिव दफ्तर ही नल
 नम्बर में कम है।

6/6/25

सहायक कलक्टर
 भालवाड़ा

वास्तविक
 जारि जमानत
 नहीं हुई व
 जमानत
 जमानत नहीं
 हुई।
 (उपलब्ध
 सहायक)

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. सीता पत्नी स्व0 बरदीचन्द विश्नोई आयु 60 साल जाति विश्नोई
 2. आजाद विश्नोई पुत्र बरदीचन्द विश्नोई आयु वयस्क जाति विश्नोई
 3. संजय विश्नोई पुत्र बरदीचन्द विश्नोई आयु वयस्क जाति विश्नोई
 4. नरेश विश्नोई पुत्र बरदीचन्द विश्नोई आयु वयस्क जाति विश्नोई
 5. मंजु विश्नोई पुत्री बरदीचन्द विश्नोई आयु वयस्क जाति विश्नोई
 6. सुनीता विश्नोई पुत्री बरदीचन्द विश्नोई आयु वयस्क जाति विश्नोई
 7. रेखा विश्नोई पुत्री बरदीचन्द विश्नोई आयु वयस्क जाति विश्नोई
- सभी निवासीयान माताजी का चौक बोरड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादिया

बनाम

1. गिरधारी पुत्र मांगीलाल विश्नोई आयु वयस्क निवासी माता जी का चौक बोरड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. भगवान लाल पुत्र मांगीलाल विश्नोई आयु वयस्क निवासी माता जी का चौक बोरड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. शंकर लाल पुत्र मांगीलाल विश्नोई आयु वयस्क निवासी माता जी का चौक बोरड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. बाबु लाल विश्नोई आयु वयस्क निवासी ग्यारसीमाता मन्दिर के पास पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. कमला पत्नी श्यामसुन्दर विश्नोई निवासी माताजी का चौक बोरड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. सिकन्दर पुत्र लादु लाल विश्नोई आयु वयस्क निवासी माताजी का बोरड़ा जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 53, 54, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 3/2022 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री शिव सिंह चारण उपस्थित । प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री शोभागमल कुमावत उपस्थित — इस वाद में आज तारीख 06.06.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिकी दी जाती है—

वादी द्वारा न्यायालय आदेश की पालना नहीं किये जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 में खारिज किया जाता है।


6/6/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा